मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-18

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2006 (फाल्गुन 19, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 106 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 105 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में शामिल सभी 25 तारांकित प्रश्नों का दूसरा चक्र भी निर्धारित समय से पूर्व पूरा होने के कारण कार्यसूची में निहित अन्य विषय लिया जाता है।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य ने गाडरवारा में गन्ने का उत्पादन अधिक होने व अतिरिक्त बिजली दिये जाने,

(2) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य ने शहडोल जिले में शहरी क्षेत्र में आवासीय प्लाट की बिक्री पर रोक होने,

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने नगर निगम भोपाल शहर में होर्डिंग लगाये जाने की अनुमति का नियमानुसार पालन न किये जाने से दुर्घटनाएं होने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले की तहसील हनुमना के कई ग्रामों में शासन द्वारा सुरक्षित भूमिहीनों को प्लाट न दिये जाने,

(5) श्री शिवराज शाह, सदस्य ने मंडला जिले में भारी वर्षा के कारण फसलें नष्ट होने,

(6) श्री अजय सिंह, सदस्य ने प्रदेश की राजधानी के समीप स्थित पर्यटन स्थल भीमबैठका में पर्यटकों को सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने,

(7) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य ने बालाघाट जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग में दैनिक वेतन भोगियों को कई माह से वेतन न मिलने,

(8) श्री गिरिराज मंडलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के राशन कार्ड न बनाये जाने,

(9) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य ने बड़वानी जिले के पुराने बांध के निर्माण में बांध का गेल भरा जाने से सिचाई हेतु पानी न मिलने,तथा

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने उज्जैन जिले में भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसल चौपट होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(2) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2004-2005,

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम अधिनियम, 1976 (क्रमांक 2 सन् 1977) की धारा 35 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000-2001,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "व्यवसायिक परीक्षा मंड़ल द्वारा पी.ई.टी. एवं पी.एम.टी. की परीक्षाएं समय पर आयोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति" संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(1) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य ने खरगौन जिले के ग्राम मर्दाना में ठेकेदारों द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन, राज्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री रामलखन शर्मा, इन्द्रजीत कुमार, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने भिण्ड में डकैत को संरक्षण देने वाले पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ.गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामलखन शर्मा, आरिफ अकील, सदस्य ने भिण्ड जिले के जमसारा जल उपभोक्ता समिति के चुनाव के दौरान मारपीट होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), सदस्य की शहडोल जिले के ग्राम धुरवार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री धुलजी चौधरी, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम मूंदड़ी में 20 बिस्तरीय अस्पताल खोले जाने,

(3) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य की होशंगाबाद जिले के इटारसी मंडी से तवा नदी पुल तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल शहर के-

(क) कोटरा सुल्तानाबाद क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों को हटाये जाने, तथा

(ख) पी.एन.टी. चौराहा स्थित शराब की दुकान को हटाये जाने,

(5) श्री ध्रुवप्रताप सिंह (दीपक भैया), सदस्य की कटनी जिले के -

(क) कैमोर नगर में हाईस्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम कारीतलाई से हरदुआ तक पहुंच मार्ग बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम बरहटा से सुड्डी तक सड़क बनाये जाने,

(6) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले के -

(क) ग्राम बघोली से बैतूल बाजार तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम चांद बेहड़ा, सोनाघाटी तथा सिल्लौट में हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) ग्राम बारव्ही से कोलगांव तक पक्की सड़क बनाये जाने,

(घ) बैतूल सदर स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम खेड़ीसांवलीगढ़ से बैतूल बाजार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. वक्तव्य

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने दिनांक 24 फरवरी, 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 344) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि आज शुक्रवार के अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत है कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सदन के निर्णय के अनुसार सदन की बैठक 7 बजे तक होनी है। आज की कार्यसूची में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा भी सम्मिलित है। आज अपराह्न 3.00 बजे तक विभिन्न विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी । तत्पश्चात् नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 140 के अनुसार डेढ़ घन्टे का समय निर्धारित है तदुपरांत अशासकीय कार्य लिया जायेगा। मै समझता हूं सदन की सहमति है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया,पर्यटन, खेल और युवक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए सत्तावन करोड़, उन्नीस लाख, चालीस हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 43	खेल और युवक कल्याण के लिए चौदह करोड़, चवालीस लाख, पचहत्तर हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 37	1,4,5,7,9
मांग संख्या - 43	1,2,8

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(2) श्री कैलाश चावला
(3) श्री आरिफ अकील
(4) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला
(5) श्री हमीद काजी
(6) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(7) श्री कृष्णकुमार सिंह
(8) डॉ. गोविन्द सिंह
(9) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(10) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (श्री लालसिंह आर्य) पीठासीन हुए।

(11) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(12) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(13) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(14) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(15) श्री अन्तर सिंह दरबार
(16) श्री लाल सिंह आर्य

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया, पर्यटन, खेल और युवक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. वक्तव्य

श्री राघवजी वित्त, मंत्री ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि में जन सहयोग की अवशेष राशि माननीय विधायकों द्वारा अनुशंसित किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिये जाने संबंधी वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

11. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि एवं ओला वृष्टि से फसलों के नष्ट होने के संबंध में श्री रामलखन शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री उमाशंकर गुप्ता, पं. हरिचरण तिवारी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, श्री अर्जुन पलिया, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री आरिफ अकील, श्री हुकुमचंद यादव, श्री सुनील नायक, श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया), श्री ओमप्रकाश खटीक, श्री हरिवल्लभ शुक्ला, श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्यगण, ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामलखन शर्मा

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा नियम 139 के अधीन अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों के नष्ट होने संबंधी चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री की सदन से अनुपस्थिति एवं उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में दिन भर के लिए सदन से बहिर्गमन किया गया)

(4) पं. हरिचरण तिवारी

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(6) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय

(7) श्री अर्जुन पलिया

(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(9) श्री अखण्ड प्रताप सिंह **(चर्चा अपूर्ण)**

12. व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में व्यवस्था दी गई कि नियम 139 के अधीन प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों के नष्ट होने के संबंध में चर्चा हो रही है। चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या अत्यधिक है, चर्चा अति महत्वपूर्ण है तथा सभी को अवसर दिया जाना आवश्यक है। अत: मध्यप्रदेश विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 140 के निर्धारित समय से अधिक समय की अनुमति दी जाय, मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है। आज का अशासकीय कार्य भी आज नहीं हो सकेगा, उसे अगले सप्ताह में लिया जायेगा। मै समझता हूँ कि सदन इससे भी सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनःग्रहण

(10) श्री ओमप्रकाश खटीक

(11) श्री हरिवल्लभ शुक्ला

(12) श्री उम्मेद सिंह बना

(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(14) श्री सत्यदेव कटारे

(15) श्री इन्द्रजीत कुमार

(16) श्री रामनिवास रावत

(17) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

(18) श्री शंकरलाल तिवारी

(19) श्रीमती अर्चना चिटनिस

(20) श्री राजेश पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारी लाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(21) श्री शिवप्रसाद राठौर

(22) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

(23) श्री सोबरन सिंह बाबूजी

(24) श्री हमीद काजी

(25) श्री बृजमोहन धूत

(26) श्री फूल सिंह मेवाड़ा

(27) श्री जगन्नाथ सिंह

(22) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(23) श्री लाल सिंह आर्य

(24) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(25) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने भी चर्चा का उत्तर दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष द्वारा प्रदेश में अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान होने पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

07.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2006 (फाल्गुन 30, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.